राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्रम पंचायत दिवेर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— ग्राम पंचायत दिवेर

निर्णय दिनांक— 01.07.2015

प्रकरण सं. — 51/2011 रे0वा0

अनवान

1. श्री भैरूसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम।
2. श्री लक्ष्मणसिह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम।

वादी

बनाम

1. श्री बाबूसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

यह कि मौजा दिवेर तहसील भीम में निम्न विवरण वाली आराजी स्थित होकर पीढियो से पक्षकार के सयुंक्त खाते कब्जे मे होकर मौरूषी जायदाद है:—

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
405	12	11	00	बंझड
1018	00	10	00	जाव 1
1230	00	17	00	चाही 2
1233	01	00	00	चाही 2
1236	01	10	10	चाही 1
3105	00	06	00	बारानी 2
3106	00	11	00	बंझड
3120	01	01	00	बारानी 2
कुल किता 8 रकबा 18 बीघा 06 विस्वा 10 विस्वांसी				

उक्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 3/4 हिस्से के खातेदार वादीगण है किन्तु मौके पर मिटस एण्ड बाउण्ड से बंटवारा नही हुआ है तथा मन मकसद तरीके से सभी काबिज हो काश्त करते कराते चले आ रहे है प्रतिवादीगण संख्या 2 आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

वादीगण अपनी भूमि को विकसित करना चाहते है तथा जब तक मिटस एण्ड बाउण्ड से अलग अलग मौके पर बंटवारा न हो व अलग अलग खाते व कब्जे न हो तब तक वह अपनी भूमि को विकसित नही कर सकते है।

प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार बंटवारा कराने के लिये कहा किन्तु सदा टालम टोल करते रहे व अन्त मे दो माह पूर्व इन्कार हो गये इसलिये वादपत्र पेश करना पड रहा है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दिवेर** मे पेश हुआ। प्रारम्भिक डिकी की पालना तहसीलदार भीम से प्राप्त होने से डिकी अनुसार अन्तिम डिगरी जारी की जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार भीम को निर्णय की पालना हेतु लिखा जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

( )
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द